

किस्म मुकदमा प्रौपत्र 111-12-8 नं० 24 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीत मे जारी हुए
6-2-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
28 ² / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिष्ठापकगण द्वारा न्यायिक कार्य कर रखने से पत्रावली दिनांक 14-2-23 को पेश हो ।</p>	
14-3-23	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिष्ठापकगण द्वारा न्यायिक कार्य कर रखने से पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो ।</p>	
28 ³ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए-जिसे शामिल पत्रावली किया गया । विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फेराल शुमार होकर मन्वेबर से कम ही ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 24/23 प्रा०पत्र

1- श्री भिरू लाल श/० श्री बीसा बुधार् निवासी-दादिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री सूरजचंद श/० श्री बालू चौधरी निवासी-टड्डेका तहसील-माण्डल (गैर)
(सिद्धांतित प्रा०पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~लक्ष्मणपुरा, टड्डेका~~ पटवार हल्का ~~टड्डेका~~ तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० ^{184, 185, 235/186, 236/187} ~~237/188, 388, 394~~ कुल किता ~~07~~ रकबा ~~3-9331~~ हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~06-02-23~~ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~लक्ष्मणपुरा~~ पटवार हल्का ~~टड्डेका~~ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० ^{184, 185, 235/186, 236/187, 237/188, 388, 394} कुल किता ~~07~~ रकबा ~~3-9331~~ हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकांशी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ~~मीथास~~ को ~~1700/-~~ रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा